

तमिलनाडु राज्य और अन्य

बनाम

एमआर अलगप्पन और अन्य

08 अप्रैल, 1997

[एसबी मजमुदार, एम. जगन्नाथ राव जे.जे.]

सेवा नियम,

समान कार्य के लिए समान वेतन-सिद्धांत-लागू-कर्मचारी के दो वर्ग-मूलतः समान कर्तव्य का निर्वहन-प्रतिपादितः समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है, विशेष रूप से जब शैक्षणिक योग्यता, भर्ती की प्रकृति, पद विशेष कार्यभार, भिन्न वरीयता सूची इत्यादि-अनुच्छेद 14 व 16 भारतीय संविधान 1950

पदोन्नति-अवसर-शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भिन्नता-प्रतिपादित अनुमेय

अपीलकर्ता-राज्य के कृषि विभाग के तहत राज्य कृषि विस्तार अधीनस्थ सेवा में उप कृषि अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। प्रत्यर्थियों जो पदोन्नत अधिकारी थे, ने राज्य कृषि विस्तार सेवा से संबंधित सीधे भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों के साथ वेतनमान में समानता का दावा किया।

उत्तरदाताओं और कृषि अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बीच काफी समानता थी। इन दोनों श्रेणियों के बीच भी पर्याप्त अंतर थे। उत्तरदाता एफ अराजपत्रित अधिकारी थे जबकि कृषि अधिकारी राजपत्रित अधिकारी थे। उत्तरदाताओं को विभागीय रूप से पदोन्नत किया गया, जबकि कृषि अधिकारियों की सीधे भर्ती की गई। कृषि अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. (कृषि) थी, जबकि एक पदोन्नत उप कृषि अधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियमों में निर्धारित अपेक्षित अनुभव के साथ एसएसएलसी थी। उप कृषि अधिकारी वही कर्तव्य निभाते थे जो कृषि अधिकारी निभाते थे, लेकिन नमूने लेने जैसे महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से कृषि अधिकारियों को ही सौंपे जाते थे। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना कि प्रत्यर्थी कृषि अधिकारियों को उपलब्ध समान वेतनमान पाने के हकदार थे।

इस आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा हस्तगत अपील पेश की गयी।

अपील स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 मैसूर राज्य बनाम पी.नरसिंग राव [1968] 1 एससीआर 407 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने रामास्वामी, जे के माध्यम से यह अभिमत व्यक्त किया था कि उच्च शैक्षणिक योग्यताएं उच्च वेतनमान तय करने और परिणामस्वरूप वर्गीकरण के लिए एक प्रासंगिक

विचार प्रस्तुत करती हैं। नए मैसूर राज्य द्वारा दो अलग-अलग वेतनमानों में प्रशिक्षकों के दो ग्रेडों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं था। [726-जी]

1.2 कुछ परिस्थितियों में नमूने लेने का कार्य भी उप कृषि अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। ऐसा संभव है। लेकिन काम की विशेष गुणवत्ता जो सीधे तौर पर भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों को करनी होती है, वह उस काम की गुणवत्ता से काफी भिन्न होती है जिसे प्रत्यर्थियों जैसे उप कृषि अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि अधिकारियों के कुल पदों में से कृषि अधिकारियों के अधीन विनिमेय आधार पर 1372 पद विशेष रूप से सीधे भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने हैं। कर्मचारियों के दो समूहों के बीच इन विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि वे सेवा नियमों के विभिन्न संवर्ग द्वारा शासित राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों के दो अलग-अलग कैडर बनाते हैं, जिसके बदले में अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों के रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त जिन पहलू पर भी पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं था, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर ही कृषि जैसे राजपत्रित कर्मचारियों को वेतनमान उपलब्ध है। भारत के

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार अधिकारियों को उप कृषि अधिकारियों जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैसूर राज्य बनाम पी.नरसिंग राव [1968] 1 एससीआर 407 मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एव अन्य [1975] 1 एससीआर 449 पालन किया।

वी.मार्कडेय और अन्य बनाम वी.आंघ्र प्रदेश राज्य और अन्य (1989) 3 एससीसी 191 सीता देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1996) 10 एससीसी 1 भरोसा किया।

भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1987) 4 एससीसी 643 जयपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1988 एसयूपीटी 1 एस.सी.आर. 411 लागू किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं.4684-85/1994 आदि।

तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास ओ.ए. नं. 148889 व 3662/1992 निर्णय व आदेश दिनांक 19.10.1992 से ।

ए मारियापुत्थम व वी.कृष्ण मूर्ति अपीलकर्ता की ओर से ।

जितेन्द्र शर्मा, आर.मोहन, मिस. गुनवंत दारा, मिस. मीनाक्षी विज, टी.गौर, आर.नेदू रमन, वी.जी.प्रगाशम, के.वी.विश्वनाथन, के.वी.वेंकट रमन व सी.आर.अय्यर-प्रत्यर्थियों की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.मजूमदार द्वारा सुनाया गया।

तमिलनाडु राज्य और कृषि निदेशक, मद्रास ने सार्वजनिक अपीलकर्ताओं के रूप में तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दो मूल आवेदनों में दिए गए एक संयुक्त फैसले को चुनौती दी है, जो प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए हैं, जो तमिलनाडु कृषि विस्तार अधीनस्थ में उप कृषि अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उक्त राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत सेवा, ट्रिब्यूनल ने इन दो मूल आवेदनों में अपने आक्षेपित संयुक्त निर्णय में यह निर्णीत किया है कि प्रतिस्पर्धी प्रत्यर्थी तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा में कार्यरत कृषि अधिकारियों के समान वेतनमान पाने के हकदार हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अनुसार उक्त दोनों समान कार्य व समान कर्तव्य निभाते हैं। परिणामस्वरूप, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अपीलकर्ता-राज्य को अपने कृषि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के इन दो समूहों के बीच वेतनमान की समानता बनाए रखनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रतिस्पर्धी प्रत्यर्थी को 1 जून 1988 से सभी बकाया का भुगतान किया जाए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की विशेष अनुमति दिए जाने पर अपीलकर्ताओं ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस अदालत के एक अंतरिम आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल के आक्षेपित निर्णय और आदेश को स्थगित किया गया है। ट्रिब्यूनल में अपील करने वाले प्रत्यर्थी के परिवाद को समझने के लिए इन कार्यवाहियों के कुछ संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रत्यर्थियों को मूल रूप से राज्य के कृषि विभाग में फील्डमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। वे तमिलनाडु कृषि अधीनस्थ सेवा से संबंधित थे। बाद में उन्हें उप कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। इन पदों को सहायक कृषि अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरा जा सकता है। उप कृषि अधिकारियों से अन्य पदोन्नति पदों से परे प्रत्यर्थियों को कोई उच्चतम अवसर नहीं है।

दूसरी ओर कृषि अधिकारियों की भर्ती सीधे की जा रही है और वे तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा से संबंधित हैं। कृषि अधिकारी के रूप में सीधे भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्नातक (कृषि) है, जबकि जहां तक उप कृषि अधिकारियों का प्रश्न है, उक्त पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए न्यूनतम योग्यता 10 वीं कक्षा की परीक्षा के बराबर एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण करना है। प्रत्यर्थियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह तर्क दिया कि यद्यपि वे कृषि अधिकारियों के समान

कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उनके लिए उपलब्ध वेतनमान 1600-60-2300-60-2660/-रूपये था, जबकि कृषि अधिकारियों का वेतनमान मूल रूप से 1640-60-2600-75-2900/-रूपए था जो आगे बढ़ाकर 1820-60-2300-75-3200/-रूपये कर दिया गया और उप कृषि अधिकारियों को इस तरह के कोई भी ऊपरी संशोधन और संशोधित वेतनमान की समानता की प्रस्तुत नहीं की गई। जैसाकि पहले से अंकित है, प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क ट्रिब्यूनल के खिलाफ उठाया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना चाहिए था तथा आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थियों के पक्ष में पारित किया गया।

इन अपीलों के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस अदालत के निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए, जिसका हम आगे संदर्भ देंगे, शैक्षिक योग्यता में अंतर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को वर्गीकृत करने और उन्हें अलग-अलग पेश करने के लिए एक तर्कसंगत मानदंड प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया था कि कृषि अधिकारियों को सीधे तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा में राजपत्रित अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाता है, जबकि प्रत्यर्थी जो पदोन्नत-उप कृषि अधिकारी थे, वे तमिलनाडु कृषि विस्तार अधीनस्थ सेवा से संबंधित गैर-राजपत्रित अधिकारी थे। यह कि इन दोनों सेवाओं में भर्ती के तरीके अलग-अलग थे। कृषि अधिकारियों

की सीधी भर्ती की गई जबकि उप कृषि अधिकारियों की पदोन्नति की गई। उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी अलग-अलग थीं. कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती पर विचार करने से पहले उसके पास वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षित योग्यताओं के अलावा विज्ञान स्नातक (कृषि) की डिग्री होनी चाहिए, परन्तु जहां तक उप कृषि अधिकारी का प्रश्न है तो उनके लिए नियमों में निर्धारित अपेक्षित अनुभव के साथ एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। कृषि अधिकारियों के 2390 पदों में से 1372 पद ऐसे थे जिन पर उप कृषि अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि वे विशिष्ट प्रकार के थे, जबकि शेष 1018 पदों पर ही उप कृषि अधिकारियों को काम पर नियुक्त किया जा सका और इस लिहाज से इन 1018 पदों के लिए इन पदों पर कर्मचारियों के इन दो समूहों के बीच असाइनमेंट की अदला-बदली थी। इसके आगे यह तर्क दिया गया कि भले ही कर्मचारियों के इन दोनों समूहों के इयूटी चार्ट लगभग समान थे, फिर भी कृषि अधिकारियों को कुछ विशेष कर्तव्य सौंपे गए थे जिन्हें उप कृषि अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त दो वर्ग के कर्मचारी हालांकि कृषि अधिकारी हैं, परन्तु उक्त दोनों वर्ग राज्य के कृषि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के ये दो वर्ग दो अलग-अलग वर्ग बनाते हैं और उन्हें समान वेतनमान अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों के बीच कोई तुलना

नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल द्वारा आक्षेपित आदेश उनके पक्ष में पारित करना एक विधिक त्रुटि है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया कि यह प्रमाणित हो गया है कि प्रत्यर्थी अपने समकक्ष कृषि अधिकारियों के समान ही कार्य कर रहे थे, तो यह अप्रासंगिक हो जाएगा कि दोनों वर्गों की किस प्रकार से भर्ती हुयी थी। चूंकि दोनों वर्गों के कार्य की प्रकृति लगभग समान है। अतः प्रत्यर्थी भी दूसरे वर्ग की तरह समान काम के लिए समान वेतन के अधिकारी हैं। भले ही कुछ कार्य उनको नहीं सौंपा जा सकाता, जैसा कि वी.श्रीनिवासन उप सचिव कृषि विभाग के अतिरिक्त शपथ पत्र के मद सं.5 में उल्लेखित है, परन्तु यह इंगित करने के लिए सामग्री उपलब्ध है कि नमूने लेने का काम भी उप कृषि अधिकारियों को सौंपा जा सकता है और परिणामस्वरूप समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर ट्रिब्यूनल का पारित आदेश न्यायसंगत था, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(डी) के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 16 के प्रकाश में, उनके पक्ष में आक्षेपित आदेश न्यायोचित था। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा जताया जिनका हम इसके बाद संदर्भ देंगे।

इस अदालत के विभिन्न निर्णयों के अध्ययन से पहले, जिस पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

था। सर्वप्रथम चूंकि आई.ए. संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 द्वारा उल्लेखनीय है, जिसमें यह अंकित है कि कृषि अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ इच्छुक आवेदक इसमें पक्षकार बनना चाहते हैं। क्योंकि उनका भी वर्तमान में तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराए गए वेतनमान की तुलना में उनके लिए उपलब्ध अलग वेतनमान को उचित ठहराने के लिए इन कार्यवाहियों में उनका सीधा हित है। चूंकि ये आवेदक एक ही विभाग में कर्मचारियों के प्रतिद्वंद्वी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने हमारे सामने यह तर्क दिया था कि वह अपीलकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं और अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को अपनाते हैं। इसलिए हम इन आईए को मंजूरी देना और इन प्रत्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति देना उचित समझते हैं। यह उचित होगा कि इन अपीलों के लंबित रहने तक ट्रिब्यूनल के आदेश के कार्यान्वयन के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन को हटाने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा कुछ आई. एस. दायर किए गए हैं। चूंकि वर्तमान निर्णय द्वारा अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए अंतरिम स्थगन को हटाने के लिए यह आईए स्वाभाविक रूप से जीवित नहीं रहेंगे और तदनुसार उनका निस्तारण हो जाएगा।

जहां तक हमारे विचार के लिए उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के गुणावगुण का प्रश्न है, तो इन मामलों के रिकॉर्ड पर कुछ

अच्छी तरह से स्थापित तथ्यों को नोट करना आवश्यक होगा, जिनके प्रकाश में हमारे विचार के लिए प्रस्तुत विवाद को हल करना होगा। अपीलार्थी-राज्य के कृषि विभाग में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा संचालित दो प्रकार की सेवाएँ प्रचलित हैं। इन सेवाओं के इतिहास से पता चलता है कि 1961 तक सहायक कृषि अधिकारियों के पद तमिलनाडु कृषि अधीनस्थ सेवा में होते थे। इन सहायक कृषि अधिकारियों को उप कृषि अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, जिन्हें पहले कृषि प्रदर्शक के रूप में जाना जाता था। इन पदों को सीधी भर्ती के साथ-साथ सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति से भी भरा जा सकेगा। यह प्रथा 1966 तक प्रचलन में थी। उप कृषि अधिकारियों की कुल कैडर शक्ति में से 20 प्रतिशत सहायक कृषि अधिकारियों से पदोन्नत लोगों के लिए आरक्षित था और शेष 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता था।केवल बी.एससी. (कृषि) स्नातकों को सीधे उप कृषि अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया। 1961 तक स्नातक या गैर-स्नातक उप कृषि अधिकारियों के वेतनमान में कोई असमानता नहीं थी। विभाग में यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति थी कि पदोन्नत उप कृषि अधिकारियों के पास पदोन्नति की कोई और संभावना नहीं थी, जबकि सीधे भर्ती किए गए उप कृषि अधिकारियों के लिए पदोन्नति की आगे की संभावना थी। पक्षकारान के मध्य यह भी विवाद में नहीं है कि 1962 के बाद पदोन्नत-उप कृषि अधिकारियों के वेतनमान सीधे भर्ती किए गए उप कृषि अधिकारियों के वेतनमान के साथ

छोड़ दिए गए और गैर-स्नातकों को उप कृषि अधिकारी कहा जाता रहा। हालांकि इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों ने काफी हद तक एक ही प्रकार का काम किया और एक ही प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन किया है, परन्तु 1962 के बाद से सीधे तौर पर भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों के वेतनमान पदोन्नत-उप कृषि अधिकारियों के वेतनमान की तुलना में अधिक रहे हैं। विशेष कार्य की प्रकृति में अंतर, जिसे केवल सीधे भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों को सौंपा जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उजागर किया है और पहले उल्लेख किया है। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा वर्ष 1981 से तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा का गठन किया गया। उक्त सेवा की श्रेणी IV में कृषि अधिकारी (विस्तार) शामिल थे। कृषि अधिकारी (विस्तार) के पदों पर भर्ती की विधि एवं योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई।

श्रेणी एवं पद	भर्ती की पद्धति	योग्यता
चतुर्थे श्रेणी कृषि अफसर	सीधी भर्ती	i) कृषि में स्नातक की डिग्री, और, ii) तमिल भाषा का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान

		होना चाहिए जैसा कि सामान्य नियम के भाग 2 नियम 12 ए उपनियम ए के स्पष्टीकरण में परिभाषित है।
--	--	--

वर्ष 1988 में राज्य सरकार ने तमिलनाडु कृषि विस्तार अधीनस्थ सेवा के लिए विशेष नियम बनाये थे। उक्त अधीनस्थ सेवा श्रेणी 1 में उप कृषि अधिकारी शामिल थे, जिनसे प्रत्यर्थी संबंधित हैं। उक्त अधीनस्थ सेवा अधिनियम के नियम 2 में उप कृषि अधिकारियों के पदों पर भर्ती की विधि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

श्रेणी	पद	नियुक्ति की विधि
श्रेणी प्रथम	उप कृषि अधिकारी	उप कृषि धारकों में से श्रेणी 3 के अधिकारी सहायक के पद पर पदोन्नति द्वारा, जिसमें सहायक बीज अधिकारी भी शामिल हैं, श्रेणी 2 में जिन्हें सहायक कृषि अधिकारी के पद से श्रेणी 3 में पदोन्नत किया गया है। बशर्ते कि उप कृषि अधिकारियों की कुल संख्या तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा के वर्ग IV में शामिल कृषि अधिकारियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उप कृषि अधिकारी के पद के लिए निर्धारित योग्यता नियमावली के अंतर्गत निम्नानुसार है;

पद	योग्यता
उप कृषि अधिकारी	1. एसएसएलसी कृषि परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. सहायक कृषि अधिकारी के पद पर प्रदान की गई सेवाओं सहित सहायक कृषि अधिकारी के रूप में जिसमें सहायक बीज अधिकारी की सेवा भी सम्मिलित होगी, में कम से कम दस वर्ष की सेवा।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया कि उप कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती के नियमों के अनुसार संबंधित पदाधिकारी के पास सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक बीज अधिकारी के पद पर की गई सेवा सहित कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। सहायक बीज अधिकारी होने के लिए उसे न केवल एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी बल्कि श्रेणी 3 में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में कम से कम पांच साल की सेवा भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त समान नियमों के तहत यह प्रावधान है कि एक सहायक कृषि अधिकारी को सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए उम्मीदवार को एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और

दो साल का डिप्लोमा कोर्स कोर्स पास करना होगा या श्री राम कृष्ण विद्यालय और भर्ती के संबंधित नियमों में उल्लिखित अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कृषि विज्ञान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करना होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उप कृषि अधिकारी के पद तक पहुंचने से पहले एक पदोन्नत व्यक्ति को न केवल एसएसएलसी परीक्षा के उत्तीर्ण प्रमाणपत्र से लैस होना चाहिए, बल्कि सहायक कृषि अधिकारी से संबंधित भर्ती के नियमों में निर्धारित अपेक्षित डिप्लोमा भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि एक उप कृषि अधिकारी के पास कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक नहीं है, जो कि कृषि अधिकारी के पद पर सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवार के लिए बुनियादी आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप कृषि अधिकारियों द्वारा किए गए अधिकांश कर्तव्य कृषि अधिकारियों द्वारा सौंपे गए और किए गए कार्यों के समानांतर चलते हैं। यह भी सत्य है कि उप कृषि अधिकारियों को जब वह कार्य सौंपा जाता है और उस सीमा तक उनकी ड्यूटी का कार्यभार विनिमेय माना जा सकता है। फिर भी तथ्य यह है कि उप कृषि अधिकारी अधीनस्थ सेवा से संबंधित होते हैं जो अराजपत्रित सेवा है और सीधे भर्ती की जाती है और उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. (कृषि), होती है, यदि उससे अधिक नहीं तो। दोनों प्रकार की सेवाओं में इस बुनियादी अंतर के साथ प्रश्न यह है कि क्या समान काम के लिए समान वेतन के अमूर्त सिद्धांत को संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा सेवा में दबाया जा सकता है।

इन उभय पक्षकारान के उपरोक्त सेवा संरचना डेटा के आलोक में अब हम इस बिंदु पर इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों का अध्ययन करते हैं।

मैसूर राज्य बनाम पी. नरसिंग राव [1968] 1 एससीआर 407 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने रामास्वामी, जे के माध्यम से यह अभिमत व्यक्त किया था कि उच्च शैक्षणिक योग्यताएं उच्च वेतनमान तय करने और परिणामस्वरूप वर्गीकरण के लिए एक प्रासंगिक विचार प्रस्तुत करती हैं। नए मैसूर राज्य द्वारा दो अलग-अलग वेतनमानों में प्रशिक्षकों के दो ग्रेडों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं था। उक्त मामले में प्रतिवादी नरसिंग राव रुपये के वेतनमान पर पूर्व हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग विभाग में एक ट्रेसर के रूप में कार्यरत थे, जिनका वेतनमान 65-90\ -रूपए था। ट्रेसर के सामान्य केंद्र में सैकण्डरी के साथ-साथ गैर-सैकण्डरी भी थे। उक्त स्थिति 1956 में राज्यों के पुनर्गठन तक जारी रही। पुनर्गठन के बाद हैदराबाद राज्य के क्षेत्र का एक हिस्सा नए मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया। प्रतिवादी के नए राज्य में स्थानांतरण के बाद, प्रशिक्षकों का केंद्र जिसमें बॉम्बे राज्य के प्रशिक्षकों को भी समाहित कर लिया गया था, को दो ग्रेडों में पुनर्गठित किया गया था, एक में मैट्रिक पास प्रशिक्षक शामिल थे जिनका वेतनमान 50-120/- रुपये तय किया गया था और अन्य नॉन मैट्रिक पास पर 40-

80/- रु. था। यह नए मैसूर राज्य में ट्रेसर के दो पैमानों का निर्माण था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर चुनौती देने की कोशिश की गई थी। नरसिंग राव जैसे गैर-मैट्रिकुलेट प्रशिक्षु मैसूर के उच्च न्यायालय को यह समझाने में सक्षम थे कि वेतनमान का उक्त अंतर भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को उपरोक्त मामले में संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था और यह माना गया कि अनुरेखकों द्वारा एक ही प्रकार का कार्य किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी नरसिंग राव जैसे गैर-मैट्रिक उत्तीर्ण अनुरेखकों की तुलना में मैट्रिक उत्तीर्ण अनुरेखकों को उच्च वेतनमान देने में कुछ भी गलत नहीं था। मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एव अन्य [1975] 1 एससीआर 449 ने भगवती, जे. के मामले में इस अदालत की एक अन्य संविधान पीठ द्वारा क्या पदोन्नति के मामले में विभेदक व्यवहार किया जा सकता है, के संदर्भ में जस्टिस भगवती, के माध्यम से यह अभिमत व्यक्त किया था कि आंध्र प्रदेश के नियम जहां तक पदोन्नति के मामले में स्नातक और गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों के बीच भेदभाव करते हैं, उन्हें अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें ये नियम संचालित थे, को भी ध्यान में रखा गया और यह देखा गया कि यह भेदभाव आंध्र प्रदेश नियमों द्वारा पहली बार लाया गया नहीं है। यह हैदराबाद और आंध्र राज्यों की इंजीनियरिंग सेवाओं में हमेशा से मौजूद था। स्नातक पर्यवेक्षकों को हमेशा हैदराबाद नियमों के साथ-साथ

आंध्र नियमों के तहत गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों से एक अलग वर्ग के रूप में माना जाता था और उन्हें कभी भी एक वर्ग में एकीकृत नहीं किया गया था।

इस अदालत की उपरोक्त दो संविधान पीठ के फैसलों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेतनमान के मामले में या यहां तक कि स्नातक और गैर-स्नातक कर्मचारियों के बीच पदोन्नति की आगे की संभावनाओं के संदर्भ में किया गया कोई भी भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। इस संबंध में वी.मार्कडेय और अन्य बनाम वी.आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य । (1989) 3 एससीसी 191 के मामले में इस अदालत के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। उस मामले में न्यायालय को कर्मचारियों के दो वर्गों, अर्थात् इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले स्नातक पर्यवेक्षकों और डिप्लोमा और लाइसेंस धारक गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों के दूसरे वर्ग को उपलब्ध कराए गए वेतनमान में अंतर पर विचार करना था। इंजीनियरिंग में डिग्री और गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों का दूसरा वर्ग डिप्लोमा और लाइसेंस धारक है। यह माना गया कि शैक्षणिक योग्यता में अंतर के आधार पर वेतनमान में इतना अंतर उचित है और इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस संबंध में अनुच्छेद 39 उप-अनुच्छेद (डी) पर भी विचार

किया गया और जस्टिस के एन सिंह, ने न्यायालय के लिए बोलते हुए यह अभिमत जाहिर किया -

"अनुच्छेद 39(डी) का उद्देश्य वेतन से संबंधित मामलों में समान काम करने वाले नागरिकों के बीच किसी भी भेदभाव से बचने के लिए कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय करना है। 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत कोई अमूर्त नहीं है; यह कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और शैक्षिक योग्यताओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संवर्गों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने के लिए राज्य स्वतंत्र है। जहां कर्मचारियों के दो वर्ग समान या समान कर्तव्य निभाते हैं और समान जिम्मेदारी के साथ समान कार्य करते हैं शैक्षणिक योग्यता, वे समान वेतन के हकदार होंगे। यदि राज्य उन्हें वेतन में समानता से वंचित करता है, तो उसकी कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगी, और न्यायालय भेदभाव को खत्म कर देगा और पीड़ित कर्मचारियों को राहत देगा। लेकिन इससे पहले राहत दी गई है, न्यायालय को दो अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में राज्य की कार्रवाई के पीछे के तर्क पर विचार और विश्लेषण करना चाहिए। यदि प्रासंगिक नियमों,

आदेशों, कर्तव्यों की प्रकृति, कार्यों, जिम्मेदारी के उपाय और आवश्यक शैक्षिक योग्यता के विश्लेषण पर प्रासंगिक पदों पर, न्यायालय का मानना है कि कर्मचारियों के दो वर्गों को अलग-अलग उपचार देने में राज्य द्वारा किया गया वर्गीकरण तर्कसंगत आधार पर स्थापित किया गया है और प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ संबंध रखता है, वर्गीकरण को बरकरार रखा जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत समान लोगों पर लागू होता है, इसे असमानों पर लागू नहीं किया जा सकता। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू करने की मांग करने वाले पीड़ित व्यक्ति को राहत केवल तभी दी जा सकती है जब अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित किया जाए कि राज्य द्वारा बिना किसी उचित कारण के कर्मचारियों के वर्गों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में घृणित भेदभाव किया जाता है तथा उसी के लिए वर्गीकरण किया जाता है।"

इसी तर्ज पर सीता देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1996) 10 एससीसी 1 के मामले में इस अदालत ने बीपी जीवन रेड्डी, जे. के माध्यम से बोलते हुए दो विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने यह

अभिमत जाहिर किया था कि हरियाणा सरकार में वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में अंडर-मैट्रिक प्रशिक्षक उचित रूप से समान वेतनमान की मांग नहीं कर सकते हैं जो मैट्रिकुलेट प्रशिक्षकों के लिए उपलब्ध थे और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन में समानता का दावा करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उसकी योग्यता, कर्तव्य और कार्य उस व्यक्ति के समान हैं जिसके साथ वह समानता का दावा करता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीता देवी (सुप्रा) के मामले में कार्य की समान प्रकृति के संबंध में कोई सबूत नहीं था जैसा कि निर्णय के मद (5) में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। हालाँकि, ऐसा हो सकता है कि इस न्यायालय के निर्णयों की उपरोक्त श्रृंखला के आलोक में यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अमूर्त सिद्धांत को सेवा में लागू करने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि संबंधित पदाधिकारियों के पास योग्यता, कर्तव्य और कार्यों की समानता है और तभी उनके साथ वेतनमान के प्रयोजन के लिए समान व्यवहार किया जा सकता है और अदालतें इस तथ्य के स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हस्तक्षेप कर सकती हैं कि कर्मचारियों के दोनों समूह गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से काम की समानता के आधार पर पूरी तरह से बराबर हैं और इसलिए उन्हें समान वेतनमान देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के दो निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1987) 4 एससीसी 643 के मामले का जिक्र किया, उस निर्णय में ठक्कर, जस्टिस ने दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के लिए बोलते हुए यह अभिमत व्यक्त किया था कि यदि एक ही सरकारी विभाग में अस्थायी नियुक्तियों और नियमित संवर्ग के कर्मचारियों के कर्तव्य और कार्य समान हैं, तो उनके बीच केवल इस आधार पर कि उनके चयन के तरीके में अंतर था या जिस नियुक्ति या योजना के तहत नियुक्तियाँ की गई थीं, वह अस्थायी थी, के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जहां तक पूर्वोक्त निर्णय का संबंध है, यह ध्यान में रखना होगा कि वेतनमान में अंतर का समर्थन हरियाणा राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष केवल चार आधारों पर किया गया था जैसा कि रिपोर्ट के मद् 9 में बताया गया है। उक्त आधार इस प्रकार थे:

- (i) कि याचिकाकर्ता पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं;
- (ii) याचिकाकर्ताओं की भर्ती का तरीका प्रत्यर्थी 2 से 6 की भर्ती के तरीके से भिन्न है;
- (iii) याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाए गए कार्यों की प्रकृति प्रत्यर्थी 2 से 6 द्वारा निभाए गए कार्यों के समान नहीं है; और

(iv) नियुक्तियाँ छह मासिक आधार पर की जाती हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सेवा में ब्रेक होता है कि योजना की अस्थायी प्रकृति को देखते हुए पद साल-दर-साल आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।”

यह स्पष्ट है कि उस मामले में इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के संबंधित समूहों के बीच शैक्षणिक योग्यता में असमानता हो, जिन्हें समान वेतनमान का प्रस्ताव नहीं किया गया हो। इसके विपरीत रिपोर्ट के मद नं. 12 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के पास समान योग्यताएं थीं, अर्थात् बीए, बी.एड. जैसा कि नियमित कैंडर के कर्मचारियों के पास था और इस न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं के पास एमए, एम.एड जैसी उच्च डिग्री भी थी, इन परिस्थितियों में जब राज्य इन कर्मचारियों द्वारा निभाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को समता स्थापित करने में विफल रहा, याचिकाकर्ताओं को समान वेतन देने का आदेश दिया गया। हालाँकि मौजूदा मामले में तथ्यात्मक स्थिति बिल्कुल अलग है। अतः उपरोक्त निर्णय द्वारा प्रत्यर्थियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान जयपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1988 एसयूपीटी 1 एस.सी.आर. 4 एए की ओर आकर्षित किया। इस निर्णय में इस न्यायालय की एक अन्य डिवीजन

बेंच केएन सिंह जस्टिस के माध्यम से यह अभिमत व्यक्त किया गया कि वयस्क निरक्षरों को साक्षरता (कार्यात्मक और जागरूकता) प्रदान करने और स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों को साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई दो समान योजनाओं पर विचार करना था। भले ही याचिकाकर्ता प्रशिक्षकों के रूप में समान प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें 200/- रुपये प्रति माह का निश्चित वेतन दिया जा रहा था, जबकि दूसरी योजना के तहत, समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों को 420-700 रुपये के चालू वेतनमान का प्रस्ताव दिया गया था, उक्त तथ्यों पर पाया गया कि अनुदेशकों एवं स्कवाड शिक्षकों के कर्तव्यों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था। दोनों ने एक ही नियोक्ता के अधीन समान कार्य किया और केवल इस आधार पर कि प्रशिक्षक अंशकालिक कर्मचारी थे, उन्हें 200/- रुपये प्रति माह का निश्चित वेतन नहीं दिया जा सकता था। यह स्पष्ट हो जाता है कि भुगतान में कोई अंतर नहीं था जिसे राज्य द्वारा उचित ठहराया जा सकता था, क्योंकि वे एक अलग योजना के तहत कार्यरत थे और केवल चार घंटे के लिए अंशकालिक काम कर रहे थे। मामले के इन विशिष्ट तथ्यों पर, इसलिए, यह माना गया कि प्रशिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर स्कवाड शिक्षकों को स्वीकृत समान वेतनमान के हकदार थे। चूंकि उक्त निर्णय भी इसके विशिष्ट तथ्यों के आलोक में दिया गया है, इसलिए प्रत्यर्थियों के

विद्वान अधिवक्ता से सहमत होना संभव नहीं है कि उक्त निर्णय का अनुपात भी वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह आकर्षित होता है।

उपरोक्त निर्धारित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह देखना होगा कि क्या उप कृषि अधिकारियों और कृषि अधिकारियों को कर्मचारियों का एक समान वर्ग माना जा सकता है जिन्हें समान वेतनमान दिया जाना चाहिए और उक्त अधिकारियों को समान वेतनमान न दिए जाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अवमानना करना होगा। इन मामलों के रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से स्थापित तथ्यों के प्रकाश में, जिसका हमने पहले संदर्भ दिया है, यह मानना असंभव है कि प्रत्यर्थियों की तरह उप कृषि अधिकारियों को कृषि अधिकारियों के समान वेतनमान दिया जाना आवश्यक है। कारण स्पष्ट हैं। वे कर्मचारियों का एक समान वर्ग नहीं बनाते हैं, भले ही वे काफी हद तक एक ही प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों और उनके कार्य का स्थान विनिमेय हो सकता है। एक स्पष्ट अंतर जिसके परिणामस्वरूप वे कर्मचारियों की एक विशिष्ट और अलग श्रेणी में आते हैं, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, प्रत्यर्थियों को सहायक कृषि अधिकारियों की निचली श्रेणी से पदोन्नति द्वारा भर्ती किया जाता है। उप कृषि अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पर वे तमिलनाडु में अधीनस्थ सेवा में अराजपत्रित कर्मचारी बने रहते हैं। कृषि अधिकारियों को सीधे तमिलनाडु कृषि विस्तार सेवा नामक राजपत्रित सेवा में भर्ती किया

जाता है। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को विभागीय तौर पर पदोन्नत किया जाता है जबकि कृषि अधिकारियों का चयन सीधे तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। कृषि अधिकारी (सीधी भर्ती) होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.एससी.(कृषि) है। जबकि एक पदोन्नत-उप कृषि अधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियमों के अनुसार उपयुक्त डिप्लोमा के साथ एसएसएलसी है। यद्यपि वे काफी हद तक एक ही प्रकार के कार्य और कर्तव्य निभाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से कृषि अधिकारियों को सौंपे जाते हैं, जैसा कि पेपर बुक के पृष्ठ 193 पर सरकार के उप सचिव श्री वी. श्रीनिवासन द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के मद 5 में अंकित है। पहले नोट किया गया. विशेष कर्तव्य जो केवल कृषि अधिकारियों को सौंपे जा सकते हैं, वे निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

"(ए) कीटनाशकों के नमूने लेने.

(बी) उर्वरकों के नमूने लेने.

(सी) बीज के नमूने लेने.

(डी) मिट्टी के पानी के नमूनों का विश्लेषण करें

(ई) क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन में काम करें

(च) राज्य बीज फार्म में काम करें

(छ) प्रयोगशालाओं में काम करना

(ज) मृदा सर्वेक्षण कार्य करें

(झ) डेल्टा क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सकता है।"

निस्संदेह, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा कि कुछ परिस्थितियों में नमूने लेने का कार्य भी उप कृषि अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। ऐसा संभव है। लेकिन काम की विशेष गुणवत्ता जो सीधे तौर पर भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों को करनी होती है, वह उस काम की गुणवत्ता से काफी भिन्न होती है जिसे प्रत्यर्थियों जैसे उप कृषि अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि अधिकारियों के कुल पदों में से कृषि अधिकारियों के अधीन विनिमय आधार पर 1372 पद विशेष रूप से सीधे भर्ती किए गए कृषि अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने हैं। कर्मचारियों के दो समूहों के बीच इन विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि वे सेवा नियमों के विभिन्न संवर्ग द्वारा शासित राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों के दो अलग-अलग कैंडर बनाते हैं, जिसके बदले में अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों के रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त जिन पहलू पर भी पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं था, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर ही कृषि जैसे

राजपत्रित कर्मचारियों को वेतनमान उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार अधिकारियों को उप कृषि अधिकारियों जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारे विचार में ट्रिब्यूनल ने वर्तमान मामलों के तथ्यों पर उक्त सिद्धांत को लागू करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। ट्रिब्यूनल का निर्णय पूरी तरह से अलग और असमान श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने जैसा है। इसलिए, ट्रिब्यूनल का सार्वजनिक निर्णय यथावत नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आक्षेपित सार्वजनिक निर्णय को अपास्त किया जाता है। 1990 के मूल आवेदन संख्या 1488 और 3662 को खारिज किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संपूर्ण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

वी.एस.एस.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मिती श्रीवास्तव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।